राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2223862
e mail ID : projectdirectorch@gmail.com

क्रमांकः एफ.7( )/एन.एच.एम/सी.एच/MIS-III/2020/ 600 दिनांक 6.7.20

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
उप/अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.),
समस्त जिले, राजस्थान।

विषयः– COVID-19 माहमारी में अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अन्तर्गत आईएफए अनुपूरकों के वितरण एवं रिपोर्टिंग के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि COVID-19 माहमारी में विद्यालय एवं आंशिक रूप से आंगनबाडियों के बन्द होने के कारण अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रय अन्तर्गत 6 माह में 19 वर्ष के समस्त लाभार्थी समूहों को आशा के द्वारा कम से कम 3 माह की आईएफए अनुपूरकों के वितरण किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पत्र क्रमांक 399 दिनांक 19.05.2020 द्वारा दिये गये (संलग्न)।

राज्य स्तर से एवं सहयोगी संस्थानों द्वारा की गई टेलीकॉलिंग द्वारा यह ज्ञात होता है कि आशा एवं एएनएम को उक्त दिशा–निर्देशों का ज्ञात नहीं है, जिसके कारण अधिकांश आशा द्वारा आईएफए अनुपूरकों का अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के लाभार्थी समूहों को वितरण नहीं किया जा रहा है।

COVID-19 माहमारी में आईएफए अनुपूरकों का वितरणः–

लाभार्थी आयु वर्ग	आईएफए अनुपूरण का प्रकार	खुराक	प्रत्येक लाभार्थी हेतु आवश्यक मात्रा
6 माह से 59 माह तक के बच्चे	IFA सिरप	1 मिली सप्ताह में दो बार भोजन के पश्चात	1 बोतल (50 मि.ली.) 6 महीने हेतु पर्याप्त
5 से 9 वर्ष के समस्त बच्चों हेतु (विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय नहीं जाने वाले)	IFA गुलाबी गोली	1 आईएफए की गुलाबी टैबलेट/गोली सप्ताह में एक बार भोजन के पश्चात	आईएफए गुलाबी गोली की एक स्ट्रिप (15 गोलियाँ), 3 माह हेतु पर्याप्त
10–19 वर्ष के किशोर एवं किशोरियों हेतु (विद्यालय जाने वाले किशोर एवं किशोरियों हेतु एवं विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियो हेतु)	IFA नीली गोली	1 आईएफए की नीली टैबलेट/गोली सप्ताह में एक बार भोजन के पश्चात	आईएफए नीली गोली की एक स्ट्रिप (15 गोलियाँ), 3 माह हेतु पर्याप्त

इसी प्रकार COVID-19 माहमारी में अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अन्तर्गत आईएफए अनुपूरकों के उपभोग की रिपोर्ट प्रतिमाह जिलो द्वारा एक्सल फॉर्मेट में प्रेषित करने हेतु पत्र क्रमांक 399 दिनांक 19.05.2020 द्वारा दिशा--निर्देश जारी किये गये थे, परन्तु आज दिनांक जिलो द्वारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जो अत्यन्त खेद का विषय है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है किः–

1. नवीन सप्लाई चैन (संलग्न पत्र क्रमांक 344 दिनांक 30.03.2020 एवं 384 दिनांक 07.05.2020) के माध्यम से समस्त PHC/UPHC/CHC/SDH में आईएफए नीली गोलियां, गुलाबी गोलियां एवं सिरप की उपलब्धता (कम से कम 3 माह हेतु) किया जाना सुनिश्चित करें।
2. आशा के माध्यम से समस्त लाभार्थी समूहों को उपरोक्त सारणीनुसार आईएफए अनुपूरकों का वितरण (कम से कम 3 माह हेतु) किया जाना सुनिश्चित करें।
3. COVID-19 माहमारी में अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अन्तर्गत आईएफए अनुपूरकों के वितरण एवं उपभोग की माहवार रिपोर्ट नवीन एक्सल फॉर्मेट (संलग्न) में projectdirectorch@gmail.com पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं विशिष्ट शासन सचिव,
चि.स्वा. एवं प.क. विभाग
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः एफ.7( )/एन.एच.एम/सी.एच/MIS-III/2020/600 दिनांक 6.7.20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. विभाग राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक आईसीडीएस, राजस्थान।
4. निजी सहायक, निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक आर.सी.एच., चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक शिशु स्वास्थ्य, एन. एच. एम. जयपुर।
7. राज्य नोडल अधिकारी, शिशु स्वास्थ्य, एनएचएम।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन, राजस्थान।
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिले, राजस्थान।
10. जिला आशा समन्वयक, समस्त जिले, राजस्थान।
11. डी.एन.ओ., समस्त जिले, राजस्थान।
12. प्रतिनिधि-यूनिसेफ (न्यूट्रिशन), ऐविडेन्स एक्शन, यूएनएफपीए, गैन, पीएफआई, पीरामल फाउण्डेशन, राजस्थान।
13. सर्वर रूम को वास्ते ई-मेल करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.
राजस्थान, जयपुर।

एक्सल रिपोर्टिंग प्रपत्र

COVID-19 माहमारी में आईएफए अनुपूरकों की वितरण रिपोर्ट :–

जिले का नाम :–....................................		....माह की रिपोर्ट	
	आईएफए सिरप की बोतलो की संख्या (50 मिली)	आईएफए गुलाबी गोलियों की स्ट्रिप की संख्या (15 गोलिया प्रति स्ट्रिप)	आईएफए नीली गोलियों की स्ट्रिप की संख्या (15 गोलिया प्रति स्ट्रिप)
आशाओं द्वारा माह मे कुल प्राप्त स्टोक			
आशाओं द्वारा माह मे कुल वितरित स्टोक			

COVID-19 माहमारी में आईएफए अनुपूरकों की उपभोग रिपोर्ट :–

जिले का नाम :–....................................		....माह की रिपोर्ट	
	6 से 59 माह के बच्चे	5 से 9 वर्ष के बच्चे (विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय नहीं जाने वाले)	10–19 वर्ष के किशोर एवं किशोरिया (विद्यालय जाने वाले किशोर एवं किशोरिया एवं विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरिया)
माह मे कुल लक्षित बच्चे			
माह मे कुल लाभान्वित बच्चे			

अति आवश्यक COVID-19

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2223862

e mail ID : projectdirectorch@gmail.com

क्रमांकः एफ.7( )/एन.एच.एम/सी.एच/MIS-III/2020/ 399 दिनांक 19.5.20

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
उप/अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.),
समस्त जिले, राजस्थान।

विषयः– COVID-19 माहमारी में बच्चों एवं किशोर–किशोरियों हेतु अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अन्तर्गत गतिविधियों के संबंध में।

COVID-19 माहमारी के समय आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये दिशा–निर्देश (पत्र क्रमांक एफ.7 ( )/एनएचएम/सीएच/एनबीएसयू/पार्ट–2/2017–18 /373 दिनांक 23.04.2020) के अनुसार अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु निम्न दिशा–निर्देशो की अनुपालना सुनिश्चित की जावें।

COVID-19 माहमारी में अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम में विफ्स एवं निपी कार्यक्रम अन्तर्गत की गतिविधियों का सम्पादन निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

प्रति लाभार्थी हेतु आईएफए की आवश्यकता का आंकलनः–

लाभार्थी आयु वर्ग	आईएफए अनुपूरण का प्रकार	खुराक	प्रत्येक लाभार्थी हेतु आवश्यक मात्रा
6 माह से 59 माह तक के बच्चे	**IFA** सिरप	1 मिली सप्ताह में दो बार भोजन के पश्चात	1 बोतल (50 मि.ली.) 6 महीने के लिए पर्याप्त
5 से 9 वर्ष के समस्त बच्चों हेतु (विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय नहीं जाने वाले)	**IFA** गुलाबी गोली	1 आईएफए की गुलाबी टैबलेट/गोली सप्ताह में एक बार भोजन के पश्चात	आईएफए गुलाबी गोली की एक स्ट्रिप (15गोलियाँ), 3माह के लिए पर्याप्त
10–19 वर्ष के किशोर एवं किशोरियों हेतु (विद्यालय जाने वाले किशोर एवं किशोरियों हेतु एवं विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियो हेतु)	**IFA** नीली गोली	1 आईएफए की नीली टैबलेट/गोली सप्ताह में एक बार भोजन के पश्चात	आईएफए नीली गोली की एक स्ट्रिप (15गोलियाँ), 3माह के लिए पर्याप्त

नोटः– चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार आशा एवं एएनएम द्वारा प्रत्येक गृह भ्रमण के दौरान प्रत्येक लाभार्थी वर्ग को आईएफए अनूपुरण की तीन महिने की खुराक का वितरण किया जाना उपरोक्त सारणीनुसार सुनिश्चित किया जाये।

आईएफए पूरकता (विफ्स एवं निपी कार्यक्रम) हेतु आंगनबाडी क्षेत्र में लक्षित लाभार्थी की पहचानः–

1. 6–59 माह आयु वर्ग के समस्त बच्चे।
2. 5–9 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे।
3. 5–9 वर्ष तक के विद्यालय जाने वाले बच्चे।
4. 10–19 वर्ष तक के विद्यालय जाने वाले किशोर एवं किशोरियाँ।
5. 10–19 वर्ष तक के विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियाँ।

3. 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु वर्ग के किशोर एवं किशोरियों (विद्यालय जाने वाले किशोर एवं किशोरियों एवं विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियों) को आशा द्वारा प्रत्येक बच्चे के माता–पिता को 1 स्ट्रिप (15 गोलियां) दी जायेगी। प्रथम खुराक आशा के सामने दी जायेगी तत्पश्चात आशा द्वारा बच्चों के माता–पिता को दूरभाष पर सम्पर्क कर आईएफए की गोलियों के सेवन करने हेतु योग्य एव ना करने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में जागरूक करें, जैसे कि आईएफए के बहतर एवं अवशोषण हेतु आईएफए का सेवन भोजन के पश्चात किया जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार को प्रतिकुल घटना के लिये सम्पर्क उपलब्ध करवाया जाये। इसी प्रकार दूरभाष पर आशा द्वारा प्रति सप्ताह आईएफए गुलाबी गोली के उपभोग हेतु परामर्श भी दिया जाना सुनिश्चित किया जावें।
4. प्रत्येक गृह भ्रमण में आशा द्वारा पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाये रखी जाये एवं नियमित सैनेटाइजर एवं मास्क के उपयोग किया जाये।
5. एएनएम आशा द्वारा आईएफए वितरण हेतु एक ही घर की बार–बार विजिट नहीं की जानी चाहिए।
6. गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा माता–पिता अथवा बच्चे की देखभाल करने वाले को आईएफए अनपूरण सेवन की विधि एवं मात्रा अवश्य बताई जाये तथा यह भी अवगत कराया जाये की 15 आईएफए की गोलियां 3 माह के लिये पर्याप्त रहेगी (साप्ताहिक 01 गोली) एवं 1 सिरप की बोतल 6 माह के लिये पर्याप्त रहेगी (1 मिली द्विसाप्ताहिक)।
7. एमसीएचएम दिवस एवं सम्पूरक पोषण आहार कार्यक्रम हेतु आगंनबाडी कार्यकर्ता द्वारा किये जा रहे गृह भ्रमण में भी कार्यकर्ता द्वारा आवश्यक आईएफए अनुपूरकों की आपूर्ति लाभार्थी समूह को की जा सकती है।

आईएफए अनुपूरकों के वितरण की रिपोर्टिंगः–

1. आशा द्वारा आशा डायरी में आईएफए अनुपूरकों के वितरण के विवरण का रिकॉर्ड रखा जाये।
2. आशा द्वारा आईएफए अनुपूरकों के वितरण के रिकॉर्ड को एएनएम से निम्न प्रारूप में प्रेषित करेगी।
3. एएनएम द्वारा आशा से प्राप्त प्रपत्रों को संकलित कर चिकित्सा संस्थान पर प्रेषित किया जायेगा।

	आईएफए सिरप की बोतले (50 मिली)	आईएफए गुलाबी गोलियों की स्ट्रिप (15 गोलिया प्रति स्ट्रिप)	आईएफए नीली गोलियों की स्ट्रिप (15 गोलिया प्रति स्ट्रिप)
कुल प्राप्त स्टोक			
कुल वितरित स्टोक			
कुल लक्षित बच्चे / किशोर–किशोरी			
कुल लाभान्वित बच्चे / किशोर–किशोरी			

नोटः–ब्लॉक, अरबन ब्लॉक, सीएचसी एवं एसडीएच द्वारा उपरोक्त प्रपत्र को संकलित कर रिपोर्ट (Excel Format) जिलो को प्रेषित की जायेगी एवं जिलो द्वारा प्रतिमाह राज्य स्तर पर projectdirectorch@gmail.com पर भिजवाई जानी सुनिश्चित करें।

आशा द्वारा विफ्स एवं निपी कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट पूर्व की भाँति आशा रिपोटिंग प्रपत्र में एएनएम को प्रतिमाह प्रस्तुत की जायेगी जिसकी रिपोर्टिंग एएनएम द्वारा अतिरिक्त मासिक प्रतिवेदन प्रपत्र में भरकर पीसीटीएस में ईन्द्राज कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

आशा को पूर्व की भाँति इस हेतु निर्धारित प्रोत्साहन राशि (राशि रू. 100/–प्रतिमाह 70 प्रतिशत से अधिक कवरेज करने पर) देय होगी, विभागीय पत्र क्रमांक F.7(23)/NHM/CH/AMR/2019/113 Dated 31-01-2020 एवं F.7(23)/NHM/CH/AMR/2019/917 Dated 03-09-2019 अनुसार।

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141-2223862
e mail ID : projectdirectorch@gmail.com

क्रमांक: एफ.7( )/एन.एच.एम/सी.एच/MIS-III/2020/344 दिनांक 30/3/20

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अति/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले, राजस्थान।

विषयः– अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अन्तर्गत आईएफए नीली गोलियों, आईएफए गुलाबी गोलियों एवं आईएफए सिरप को नवीन सप्लाई चैन प्रणाली द्वारा शिक्षा विभाग के पीईओ एवं आंगनबाडियों में उपलब्ध करवाने के संबंध में।

अनिमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अन्तर्गत आईएफए नीली गोलियों, आईएफए गुलाबी गोलियों एवं आईएफए सिरप को नवीन सप्लाई चैन प्रणाली द्वारा पीएचसी/सीएचसी/यूपीएचसी/एसडीएच के माध्यम सेः–

- पीएचसी/सीएचसी/यूपीएचसी/एसडीएच क्षेत्र के समस्त राजकीय विद्यालयों के लाभार्थी समूहों हेतु पंचायत शिक्षा अधिकारी (पीईओ) तक आईएफए नीली गोलियों, आईएफए गुलाबी गोलियों की सप्लाई पहुचाई जानी है।
- पीएचसी/ सीएचसी/यूपीएचसी/एसडीएच क्षेत्र के समस्त आंगनबाडियों के लाभार्थी समूहों हेतु आंगनबाडियों तक आईएफए नीली गोलियों (10–19 वर्ष की विद्यालय नहीं जानी वाली किशोरियो हेतु), आईएफए गुलाबी गोलियों (6–9 वर्ष के विद्यालय नहीं जानी वाले बच्चों हेतु) एवं आईएफए सिरप (06 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों हेतु) की सप्लाई पहुचाई जानी है।

अतः अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नवीन सप्लाई प्रणाली द्वारा पीएचसी/सीएचसी/यूपीएचसी/एसडीएच से MO Mobility Fund का उपयोग कर आगामी वित्त वर्ष 2020–21 से क्षेत्र की समस्त आंगनबाडियों एवं शिक्षा विभाग के पीईओ को कार्यक्रम की औषधियां प्रतिमाह पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें।

मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं विशिष्ट शासन सचिव,
चि.स्वा. एवं प.क. विभाग
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.7( )/एन.एच.एम/सी.एच/MIS-III/2020/344 दिनांक 30/3/20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. विभाग राजस्थान।
3. निजी सहायक, निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक आर.सी.एच.,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक आर.एच.,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक–मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, प.क., आरबीएसके, आरकेएसके एन. एच. एम. जयपुर।
7. राज्य नोडल अधिकारी, आरकेएसके, शिशु स्वास्थ्य, ब्लक सैल, आशा, फ्लोरोसिस एनएचएम।
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिले राजस्थान।
9. राज्य प्रतिनिधि–यूनिसेफ, यूएनएफपीए, एविडेन्स एक्शन, गेन, पीएफआई, पीरामल फाउण्डेशन।
10. कम्प्यूटर/सर्वर रूम को ई–मेल वास्ते।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.
राजस्थान, जयपुर।

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141-2223862
e mail ID : projectdirectorch@gmail.com

क्रमांकः एफ.7( )/एन.एच.एम/सी.एच/MIS-III/2020/384 दिनांक 7/5/2020

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला औषधि नियन्त्रण अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अन्तर्गत आईएफए नीली गोलियों, आईएफए गुलाबी गोलियों एवं आईएफए सिरप को जिला औषधि भण्डार गृहों से सीधे चिकित्सा संस्थानों तक उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अन्तर्गत आईएफए नीली गोलियों, आईएफए गुलाबी गोलियों एवं आईएफए सिरप को अनुमोदित नवीन सप्लाई चैन प्रणाली के माध्यम से जिला औषधि भण्डार गृहों से सीधे पीएचसी/सीएचसी/एसडीएच/यूपीएचसी तक पहुचाई जानी है।

अतः जिला औषधि भण्डार गृहों से आईएफए नीली गोलियों, आईएफए गुलाबी गोलियों एवं आईएफए सिरप को सीधे पीएचसी/सीएचसी/एसडीएच/यूपीएचसी वार्षिक डिमाण्ड अनुसार भिजवाया जाना सुनिश्चित करें (EDL में सम्मिलित औषधियों व अन्य औषधियों के साथ)।

इस हेतु संस्थावार (पीएचसी/सीएचसी/एसडीएच/यूपीएचसी) में आईएफए नीली गोलियां, आईएफए गुलाबी गोलियां एवं आईएफए सिरप की अनुमानित वार्षिक डिमाण्ड संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही हैं। उपरोक्त की पालना अविलम्ब की जानी सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं विशिष्ट शासन सचिव,
चि.स्वा. एवं प.क. विभाग
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः एफ.7( )/एन.एच.एम/सी.एच/MIS-III/2020/384 दिनांक 7/5/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. विभाग राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, राजस्थान।
4. निजी सहायक, निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक आर.सी.एच.,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक शिशु स्वास्थ्य, एन. एच. एम. जयपुर।
7. राज्य नोडल अधिकारी, शिशु स्वास्थ्य, एनएचएम।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन, राजस्थान।
9. अति/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), समस्त जिले, राजस्थान।
10. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिले, राजस्थान।
11. सर्वर रूम को वास्ते ई–मेल करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.
राजस्थान, जयपुर।